न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 07/2017 (2017/00129) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—लादुलाल वल्द दीपचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—उदयलाल वल्द दीपचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—हरसितकुमार वल्द छीतरमल नाबेवि माता लीला विधवा छितरमलजी नि0 मोखुन्दा त. रायपुर
4—मीठुबाई विधवा दीपचन्द महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—जाफर खां वल्द शफी मोहम्मद सोरगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 भूराजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 12.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 1434/3ख रकबा 4 बिघा, भूमि स्थित है जो अन्य आराजियात के साथ जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 खाता संख्या 169 में दीपचन्द वल्द लक्ष्मीलाल महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड है। दीपचन्दजी का इन्तकाल होने से नामान्तरणकरण संख्या 1415 के जरिये 03.11.2000 को प्रार्थीगण के नाम पर अकिंत हुआ है। जमाबन्दी की नकल प्रमाण में प्रस्तुत है। एवं साबिक ट्रेस भी आवेदन के साथ पेश की है। अन्य ग्रामो के साथ मोखुन्दा का भी नवीन बन्दोबस्त हुआ जिसमें साबिक आराजी नम्बर 1434/3ख के नवीन नम्बर 2080/1995 रकबा 0.17 एयर बनाये गये। यह है कि विपक्षी संख्या की साबिक आराजी नम्बर 1434/25 का हाल नम्बर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा 1996 बनाया गया है। जिसको भू प्रबन्ध विभाग विभाग द्वारा प्रार्थी की हाल आराजी के बनाजिब उत्तर पश्चिम में गलत रूप से फिट कर दिया है ओर पूर्व की खुली हुई लाईन को आपस में मिलाकर दो खेत बना दियें गये जबकि साबिक ट्रेस में साबिक आराजी नम्बर 1073/2ग का दक्षिण का भाग साबिक आराजी 1434/3ख की ही भाग बताया गया है इस प्रकार नक्शे में हाल आराजी नम्बर 1996 को गलत रूप से फीट कर दिया विपक्षी नम्बर 1 के नाम की साबिक आराजी नम्बर 1434/25 हाल आराजी नम्बर 1996 के स्थान पर अकिंत नही थी। ऐसी स्थिति में हाल ट्रेस में दुरस्ती होना आवश्यक है क्योकि भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार तरमीम करने का अधिकार नही है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में विपक्षीगण क्रमांक 1 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से कथन किया कि साबिक आराजी नम्बार 1434/24 के हाल नम्बर 1996 बनें जो साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में फिट किये है विपक्षी संख्या 2 वक्त आवंटन के बाद कब्जा सिपूर्द किया गया है उसी अनुसार काबिज है अतः वाद खारीज फरमावे। इसी के साथ विपक्षी क्रमांक 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1434/25 की जगह नवीन खसरा नम्बर 1996 नक्शा बनाय गया है जो साबिक के अनुसार होने से सही है। प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मोका रिपोर्ट भी मंगवाई गई तो तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी मोका रिपोर्ट में स्पष्ठ रूप से अंकन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.17 है0 साबिक खसरा नम्बर

1434 / 25 रकबा 16 बिस्वा से बना होकर खातेदार जाफर खां के नाम दर्ज है ओर मोके पर खातेदार जाफर खां ही काबिज है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि दर्ज कराने का निवेदन किया तथा विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा आवेदन को खारीज करने का निवेदन किया गया

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड जो भूमि दर्ज है मोके पर उतना ही रकबा राजस्व रेकार्ड में उपलब्ध है ओर इसी के साथ ही दोराने बहस पटवारी हल्का मोखुन्दा से रेकार्ड मंगवाकर पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक से विस्तृत चर्चा कर प्रार्थीगण को अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में जितनी भूमि आपके नाम दर्ज है उतना ही रकबा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है ओर उसी दोरान प्राथी को कहा गया कि अगर आपको अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन कराने चाहते हो तो तत्काल सीमांकन करा कर आपको संतुष्ट कराया जा सकता है। इस पर प्रार्थीगण द्वारा कहा कि अभी मुझे समय नही है में बाद में सीमांकन करा लुगा इस पर उपस्थित पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक को निर्देशित किया कि जब भी प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन चाहे तो नियमानुसार सीमांकन कराया जावें। ओर अन्त में प्रार्थीगण को समझाईस की गई कि जितनी भूमि आपके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उसी अनुसार राजस्व नक्शे में उपलब्ध है प्रार्थी कभी भी सीमाकंन करा सकता है विपक्षी 1 को आवटिंत भूमि का जंहा कब्जा दिया गया उसी अनुसार नवीन नक्शे में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण उस भूमि को अपने नाम दर्ज भूमि का हिस्सा मान रहा है जो गलत है ऐसी स्थिति प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 रेकार्ड एवं मोके से विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.30 15:35:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: